COURT FEE INDIA TWENTY RUPEES Rs.20 CANCELLED

COURT FEE INDIA Rs.10 CANCELLED

<u>समक्ष न्यायालय राजस्व मंडल ग्वालियर (म.प्र.)</u>

द्वितीय अपील क0-अपील-S894/2018/ जबलपुर/भू.रा

<u>अपीलार्थीगण</u> : 1- पुरूषोत्तम पुरी, आयु लगभग 46 वर्ष, आत्मज स्व0शोभापुरी,

2-बलराम पुरी, आयु लगभग 90 वर्ष, पिता स्व0मुल्लू पुरी,

दोनों निवासी-ग्राम कुदवारी, तहसील- पनागर, जिला-जबलपुर (म.प्र.)

श्री ... अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत
प्रस्तुतकार ... बोर्ड (राजस्व मंडल)
24 SEP 2018
अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर जबलपुर संभाग

<u>विरूद्ध</u>

701

<u>उत्तरार्थी/अनावेदकगण</u> : म.प्र.शासन

<u>द्वितीय अपील अंतर्गत धारा-44(2) म0प्र0भू0रा0संहिता 1959</u>

अपीलार्थीगण अतिरिक्त कमिश्नर जबलपुर द्वारा अपील क्रमांक 1622/अपील/2017-18 में पारित आदेश दिनांक 18/09/2018 से क्षुब्ध होकर निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर माननीय राजस्व मंडल के समक्ष यह द्वितीय अपील प्रस्तुत कर रहे है, उक्त आदेश इस प्रकरण में आगे आलोच्य आदेश कहकर संबोधित किया जायेगा। जिसकी प्रमाणित प्रति ***<u>प्रदर्श पी/1</u>*** के रूप में संलग्न है।

<u>अपील के तथ्य</u>

24 SEP 2018

1. यह कि, अपीलार्थीगण स्व0बलराम पुरी, शोभापुरी दोनों के पिता स्व0 मुल्लू पुरी, निवासी-ग्राम-कुदवारी, तहसील पनागर व जिला-जबलपुर के वैधानिक वारसान हैं। बलराम पुरी एवं शोभापुरी की प्रकरण के दौरान मृत्यु हो चुकी हैं। उनके द्वारा अपने जीवनकाल में ग्राम-कुदवारी, नं.बं. 503(पॉच सौ तीन), पटवारी हल्का नं. 26(छब्बीस), स्थित निजी स्वत्व, हित, अधिकार एवं आधिपत्य की कृषि भूमि ख.नं.06(छैः) रकवा0.454 हे0(जी→

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश—ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग—अ

प्रकरण क्रमांक : अपील—जबलपुर / भू.रा. / 2018 / 5894

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा आदि के हस्ताक्षर
3/1/19	उभय पक्ष को पूर्व पेशी पर बहस में सुना जा चुका है। यह अपील अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर व्दारा प्रकरण क्रमांक 1622 / 17—18 अपील में पारित आदेश दिनांक 18—9—2018 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। 2 / उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को, लेखी बहस के तथ्यों एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि माननीय उच्च न्यायालय व्दारा याचिका क्रमांक 1880 / 2011 में पारित आदेश दिनांक 6—4—15 में दिये गये दिशा निर्देशों के प्रकाश में सक्षम प्राधिकारी, नगर भूमि सीमा अधि. जबलपुर ने प्रकरण क्रमांक 211 बी—121 / 2016—17 में पारित आदेश दिनॉक 27—7—18 से आवेदक के स्वामित्व की नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत अतिशेष घोषित की गई भूमि) के सम्बन्ध में आदेश पारित किया है। सक्षम प्राधिकारी, नगर भूमि सीमा अधि. जबलपुर का प्रकरण क्रमांक 211 बी—121 / 2016—17 में पारित आदेश दिनॉक 27—7—18 नगर भूमि सीमा अधि. के अंतर्गत है इस आदेश की अपील अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के समक्ष हुई है एंव अपर आयुक्त व्दारा प्रकरण क्रमांक 1622 / 17—18 अपील में पारित आदेश दिनांक 18—9—2018 से अपील खारिज की है। विचार योग्य है कि सक्षम प्राधिकारी, नगर भूमि सीमा अधि. व्दारा नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम के अंतर्गत पारित आदेश एंव उसके विरूद्व इसी अधिनियम के अंतर्गत अपर आयुक्त व्दारा पारित आदेश के विरूद्व राजस्व मण्डल में अपील	

पोषणीय है ? नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 की धारा 33 (1) एंव (3) इस प्रकार है :–

धारा – 33 अपील –

(1) इस अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी व्दारा किये गये आदेश से , जो धारा 11 के अधीन या धारा 30 की उपधारा (1) के अधीन किया गया है व्यथित कोई व्यक्ति उस आदेश से तीस दिन के भीतर जिसको आदेश उसे संसूचित किया जाता है, ऐसे प्राधिकारी को अपील कर सकेगा जो विहित किया जाय। (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् अपील प्राधिकारी कहा गया है) :

(2) उपधारा (1) के अधीन अपील की प्राप्ति पर अपील प्राधिकारी, अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् यथासंभव शीघ्रता से उस पर ऐसे आदेश पारित कर सकता है जो वह ठीक समझे।

(3) इस धारा के अधीन अपील प्राधिकारी व्दारा पारित प्रत्येक आदेश अंतिम होगा।

उपधारा 2 में बताया गया है कि अपील प्राप्त होने के पश्चात् अपील प्राधिकारी अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देकर उसका यथासंभव शीघ्रता से उस पर आदेश करना होता है जो वह ठीक समझे व उपधारा 3 में बताया गया है कि इस धारा के अंतर्गत अपील प्राधिकारी व्दारा पारित प्रत्येक आदेश अंतिम होगा अर्थात उसके विरूद्व कोई अपील / रिवीजन नहीं लगेगी।

उक्त के प्रकाश में अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के आदेश दिनांक 18–9–18 के विरूद्व प्रस्तुत द्वित्तीय अपील प्रचलन–योग्य न होने से अमान्य की जाती है।

सदस्य